

तत्काल

क्रमांक:- 41/01/2020-5पोल
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 25 अक्टूबर, 2021.

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार/सभी प्रधान सचिव व आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।
3. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलायुक्त ।
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
5. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक ।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा ।

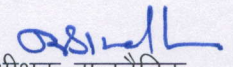
विषय:- अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आयोजित 26 नवम्बर, 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पीरियड को लीव ऑफ काइंड ड्यू के आदेश जारी करने बारे ।

श्रीमान/श्रीमति,

उपरोक्त विषय के सदर्थ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हरियाणा के कुछ विभागों/बोर्डों/निगमों आदि में कर्मचारियों द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी । इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों इत्यादि के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल अवधि को देय अवकाश माना जाये तथा अनुबंधित कर्मचारियों का EOL पास की जाए ।

2. आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए ।

भवदीय,

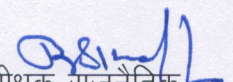

अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक 25 अक्टूबर, 2021

अशा: क्रमांक 41/01/2020-5पोल

इसकी एक प्रति श्री सतीश सेठी महासचिव, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक एसकेएस/हरि/2021/27 दिनांक 09.06.2021 के सदर्थ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।


अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।